

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 60]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 15 फरवरी 2011—माघ 26, शक 1932

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2011

फा. क्र. 84 (4)-वि. निर्वा.-2011-चार.—भारत निर्वाचन आयोग की अधिसूचना क्रमांक 434-म. प्र.-वि.स.-2011(1) दिनांक 14 फरवरी, 2011 सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है।

प्रेम चन्द मीना, प्रमुख सचिव।

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

नई दिल्ली, दिनांक 14 फरवरी 2011, 25 माघ, 1932 (शक)

अधिसूचना

सं. 434-म. प्र.-वि.स.-2011(1).—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा सहायक रिटर्निंग आफिसरों की नियुक्ति से संबंधित अपनी अधिसूचना सं. 434-म. प्र.-वि. स.-2008 (1) तारीख 02 दिसम्बर, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करता है।

उक्त अधिसूचना के साथ संलग्न सारणी के स्तम्भ 2 में मद संख्या 170-सोनकच्छ (अ.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र और 198-कुक्षी (अ.ज.जा.) विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के सामने निम्नलिखित प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी:—

सारणी

क्रम सं.	विधान सभा क्षेत्र की क्रम सं. और नाम	सहायक रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)	(3)
1	170-सोनकच्छ (अ.जा.)	श्री अनिल दुबे, तहसीलदार, देवास
2	198-कुक्षी (अ.ज.जा.)	1. श्री सत्य नारायण दर्दी, तहसीलदार, बदनावर 2. श्री एम. एल. मिमरोट, तहसीलदार, सरदारपुर 3. श्री एम. आर. धुर्वे, तहसीलदार, मनावर

2. उक्त विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में उपर्युक्त अधिकारियों की सहायक निर्वाचन अधिकारी के रूप में नियुक्तियाँ इनके संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतगणना के सफलतापूर्वक सम्पन्न हो जाने के बाद समाप्त हो जाएंगी।

आदेश से,

हस्ता./-

(बनांड जॉन)

सचिव,

भारत निर्वाचन आयोग।